संख्या-09/2017-477 ई-2/तेरह-2017-52/2010

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च,2017

विषय:-18वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, कठहौला, गौसपुर, बमरौली, जिला-इलाहाबाद को वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (रियायती रम हेतु) जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-240/दस-लाइसेंस-231(vi)/एफ0एल0-2ए/आई0टी0बी0पी0/2016-17, दिनांक 06 मार्च,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 मार्च,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त सेनानी, 18वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, कठहौला, गौसपुर, बमरौली, जिला- इलाहाबाद के पक्ष में वर्ष 2016-17 हेतु एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (रियायती रम हेतु) स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उ0प्र0 आबकारी (विदेशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) (षष्टम् संशोधन) नियमावली,2010 के नियम-6(ख) में दी गई व्यवस्थानुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली जायेंगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।